–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव,
राजस्व प्रकरण संख्या :– 03/2024

उनवान

सत्यनारायण पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बसराम पुत्र रामचन्द्र
2. लालाराम पुत्र रामचन्द्र
3. कंचन पुत्री रामचन्द्र
4. कमला पुत्री रामचन्द्र
5. शिवराज पुत्र रामसुख समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
6. मैनेजर, ओरिएन्टल बैंक आफॅ कॉमर्स शाखा सनोद, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1, 2 व 5 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

8. लाली पुत्री प्रभु जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :– अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 29.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 व 405 रकबा 0.10 व अन्य आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 350 व 403/1492 सडक से होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी खसरा नम्बर 403 रकबा 0.01 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थी को उत आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम नही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.24 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 403 में से रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी के लिये मार्ग खसरा नम्बर 403 के बजाय 402 में प्रस्तावित किया गया है। खसरा नम्बर 403 का रकबा मात्र 0.01 है व उक्त भूमि 10 फिट चौडाई में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। शेष अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। आराजी मुतनाजा का रकबा 0.01 ही होने व अप्रार्थीगण के खातें में ... होने के कारण अप्रार्थी संख्या 6 की तामीली प्रकरण में नही करायी गयी।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:18 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 404 व 405 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का है। उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में विभाजन नही हुआ है किन्तु मौके पर प्रार्थी के हिस्से में बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 404 हिस्से में आता है। अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 404 से लगते हुये मार्ग प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 व 405 रकबा 0.10 व अन्य आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 402 रकबा 0.17 व 403 रकबा 0.01 व अन्य आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 402 व 403 एक ही खाता संख्या 134 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। दोनोही खसरा नम्बर प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर के लगायत है। खसरा नम्बर 402 में से रास्ता दिये जाने पर 403 से नजदीक पडेगा व रकबा भी कम लगेगा। खसरा नम्बर 402, से 405 राजमार्ग से 10 फिट गहराई में है। मौके व राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 402 में से रास्ता लघुतम है। हाल खसरा नम्बर 404 व 405 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का है। उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में विभाजन नही हुआ है किन्तु मौके पर प्रार्थी के हिस्से में बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 404 हिस्से में आता है। अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 403 से मार्ग प्रदान किया जाना न्यायोचित है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगण की मात्र 152 वर्ग मीटर भूमि ही ली जानी है। अप्रार्थी को कथन है कि आराजी मुतनाजा राजमार्ग से 10 फिट गहराई में है, किन्तु राजमार्ग में गहराई में होने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.24 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 403 में से रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी के लिये मार्ग खसरा नम्बर 403 के बजाय 402 में प्रस्तावित किया गया है। खसरा नम्बर 402 व 403 दोनो ही अप्रार्थीगण की खातेदारी में है। खसरा नम्बर 403 में से रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थी की भूमि ही ली जानी है। मौका रिपोर्ट मे कोई विपरित तथ्य प्रकट नही हुये है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में ठोस खण्डन पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 6 के नाम रहन दर्ज है। किन्तु रास्ते हेतु मात्र 152 वर्ग मीटर भूमि ही ली जानी है। शेष आराजी पूर्व अनुसार बैंक के पास रहन रहेगी। अतः प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा 403 में से 152 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को 171252/ अक्षरे एक लाख इकहतर हजार दो सौ बावन रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद